

फा.सं.8(1)/2010-डीबीए.॥/एनईआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 4 जून, 2012

सेवा में

लेखा अधिकारी,
वेतन एवं लेखा कार्यालय,
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,
उद्योग भवन, नई दिल्ली।

विषय:- पूंजी निवेश राजसहायता योजना के अंतर्गत मै. जेयूडी सीमेंट्स लि.,
वाहियाजेर, जयंतिया पर्वतीय जिला, मेघालय को संवितरण हेतु
एनईडीएफआई को 24,51,60,000/-रु. (केवल चौबीस करोड़ इक्यावन लाख
साठ हजार रुपये) का भुगतान।

महोदय,

मुझे, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 10.05.2012 को आयोजित इसकी
बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर और केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना
के मौजूदा निबंधन और शर्तों के अनुसार केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता इस योजना के
अंतर्गत मै. जेयूडी सीमेंट्स लि., वाहियाजेर, जयंतिया पर्वतीय जिला, मेघालय को
संवितरण हेतु प्रबंध महानिदेशक, उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड
(एनईडीएफआई), एनईडीएफआई भवन, जीएस रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-पिन -
781006 को 24,51,60,000/-रु. (केवल चौबीस करोड़ इक्यावन लाख साठ हजार रुपये)
की राशि के भुगतान हेतु राष्ट्रपति की संस्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है।
एनईडीएफआई इस विभाग को 31.10.2012 तक जीएफआर के प्रपत्र 19-क में अपेक्षित
उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

2. यह राशि उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) के खाता
संख्या 30020367949, भारतीय स्टेट बैंक, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज शाखा, जीएस रोड,
भंगागढ़, एमआईसीआर कोड-781002012 और आईएफएससी कोड-
एसबीआईएन0007700 के पक्ष में निर्मुक्त की जाए।
3. इस संस्वीकृति के प्रयोजन के लिए अधोहस्ताक्षरी आहरण एवं संवितरण
अधिकारी के तौर पर कार्य करेगा।
4. यह व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्षों के नामे डाला जाए:-

मुख्य शीर्ष "2885" - उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय (मुख्य शीर्ष)
02 - पिछड़े क्षेत्रों का विकास (उप मुख्य शीर्ष)

02.101 - राजसहायता (लघु शीर्ष)

10 - पूंजी निवेश राजसहायता योजना

10.00.33 - वर्ष 2012-13 के दौरान मांग सं. 12 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत राजसहायता।

5. आवश्यक निधियां "मुख्य शीर्ष-2552, लघु शीर्ष-00.238.07-उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (पूर्व में उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए पैकेज) 07.00.33-प्रकार्यात्मक शीर्ष को राजसहायता:- 2885.02.101.10-पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 10.00.33-सहायिकियां" से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रदान की गई हैं।

6. इसे एकीकृत वित्त स्कंध, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 29.05.2012 की डायरी सं. 66 के द्वारा उनके अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं: 23063096

प्रति:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई), एनईडीएफआई भवन, जीएस रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम, पिन-781 006 |
2. प्रबंधक, उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) सी-172 (भूतल-पिछवाड़ा), सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 |
3. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, एजीसीआर भवन, इंद्रप्रस्थ ईस्टेट, नई दिल्ली।
4. वित्त-II अनुभाग, एकीकृत वित्त स्कंध, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग।
5. लेखा अधिकारी, प्रधान लेखा कार्यालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग |
6. बजट एवं लेखा अनुभाग |
7. संस्वीकृति फोल्डर।
8. गार्ड फाइल |

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं: 23063096